जिला श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 95/2021 ता.दायराः– 17.06.2021

–: अनवान :–

1. बीरबल पुत्र ईशरदास(मृतक)
   1/1 जगदीश
   1/2 भंवरलाल
   1/3 नौरंगलाल
   } पुत्रगण बीरबल जाति बैरागी निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
   1/4 विधा देवी पुत्री स्व0 बीरबल पत्नी धर्मपाल जाति बैरागी निवासी रामपुरा मटोरी चक 4/5 एन.डब्ल्यू डी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

.....वादीगण

बनाम

1. हेतराम पुत्र ईशरदास जाति स्वामी निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. शंकरदास (मृतक) जरिये वारिसानः–
   2/1 मूलीदेवी पत्नी शंकरलाल
   2/2 डुंगरदास (मृतक)
      2/2/1 रेणु
      2/2/2 अनिल स्वामी
      2/2/3 पूनम
      2/2/4 मोनिका
      } पुत्र व पुत्रीया डुंगरदास जाति स्वामी निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ।
   2/3 बिमला
   2/4 संतराम
   2/5 श्योपतराम
   } पुत्रगण व पुत्री शंकरदास जाति स्वामी निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ।
3. परमदास
4. उदमीराम
5. पतराम
6. गोपाल
7. रामनारायण
   } पुत्रगण ईशरदास जाति स्वामी निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ भूमि धारक पैरोकार राज.
9. शाखा प्रबन्धक केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा सूरतगढ़।

...प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए, 207, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई , अधिवक्ता वादीगण
2. श्री अमित सैनी,अधिवक्ता प्रति. 1, 2/1, 2/2/1 ता 2/2/4, 2/3 ता 2/5, 3 ता 7
3. पैरोकार राज सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 95 / 2021)

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 26.02.2024

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य सक्षेंप मे इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी न. 1 ता 7 सगे भाई ईशरदास के पुत्र हैं व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम से रोही गुंसाईसर पटवार हल्का रत्तासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी संवंत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 107/107 के खसरा नम्बर 126 में 2.0860 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 132 में 6.4760 हैक्टेयर दोनो खसरों की 8.5620 हैक्टेयर बारानी प्रथम व इसी गांव के खाता संख्या 108/108 के खसरा नम्बर 125 में 8.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 131 में 6.2150 हैक्टेयर दोनो खसरो की 14.3850 हैक्टेयर बारानी प्रथम भूमि ब.हि.ब. में दोनो खातों की 22.9470 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित संयुक्त खाते की भूमि 22.9470 हैक्टेयर हैं उसमें वादी का 1/8 वां हिस्सा हैं। इस प्रकार वादी को दोनो खातों के चारो खसरो में दर्ज भूमि 22.9470 हैक्टेयर में 1/8 वां हिस्सा की 2.8684 हैक्टेयर ब.प्रथम भूमि हिस्सा में आती हैं व इतनी भूमि ही वादी अर्सा दराज से घरूली बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुआ था उसी अनुसार काश्त करता आ रहा है व प्रतिवादीगण भी अपने अपने हिस्सा की भूमि घरूली बंटवारा के अनुसार लम्बे समय से काश्त करते आ रहे हैं। वादी को घरूली बंटवारा में खसरा नम्बर 125, 126, 131, 132 में उत्तर से दक्षिण में लम्बी पट्टी के रूप में बंटवारा करके दिया हुआ हैं जिसको वर्षो से वादी काश्त करता आ रहा हैं। वादी ने अपने कब्जा काश्त की भूमि में अपने उंटो से व किराये के ट्रेक्टरो से टिब्बो को समतल करके व झाड़ झखाड़ निकाल कर कड़ी मेहनत करके व हजारों रूपये लगा कर व गोबर की खाद मोल लेकर अपने हिस्सा की भूमि को उपजाउ बनाया हैं। संयुक्त खाता होने की वजह से बैंक से ऋण आदि, सहकारी समिति से बीज खाद लेने व कृषि के लिए डिग्गी बनाने फव्वारा पद्धति के लिए बैंक से आर्थिक सहायता लेने के लिए संयुक्त खाता होने से भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं। इसलिए वादीगण अपने शेष भाईयों प्रतिवादी न. 1 ता 7 से अपने हिस्सा की भूमि का खाता विभाजन अलग करवाना चाहता हैं। प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि को सुधारा नहीं हैं व अब वादी की सुधारी हुई भूमि में घुस कर अच्छी जमीन लेने की कुचेस्टा कर रहे हैं जो कतई उपयुक्त नहीं हैं। प्रतिवादीगण वादी की गैर हाजरी में जैरवाद भूमि में से अपना हक बेचना चाहते हैं व खरीददार को वादी के कब्जा काश्त वाली सुधारी हुई भूमि को अपनी भूमि बता कर उसका कब्जा देना चाहते हैं जो कतई गलत व गैरकानूनी हैं। वादी ने कड़ी मेहनत करके व भारी खर्चा लगाकर सुधारी हुई भूमि को अपनी भूमि बता कर उसका कब्जा देना चाहते हैं जो कतई गलत व गैरकानूनी हैं। वादी ने कड़ी मेहनत करके व भारी खर्चा लगाकर अपनी भूमि को काबिल काश्त किया हैं जिसको प्रतिवादीगण जबरिया कब्जा करना चाहते हैं व भूमि बेचान करके झगड़ालू व्यक्तियों का कब्जा करवाना चाहते हैं जो कतई गलत व गैरकानूनी हैं। वादी वृद्ध व अन्य पिछड़ी जाति का काश्तकार हैं। वादी शांतिप्रिय व्यक्ति हैं कानून व अदालत में भरोसा रखने वाला व्यक्ति हैं। इसलिए अदालत में वाद प्रस्तुत कर रहा हैं। अतः वाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 95/2021)

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वाद पत्र वादी अनुतोष क ता घ अनुसार डिक्री किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये वकील हाजिर आये तथा अपना जवाब इकबालदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह सही हैं कि जैरवाद भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी न. 1 ता 7 का 1/8, 1/8 हिस्सा ब.हि.ब. दर्ज हैं परन्तु प्रतिवादी न. 4 उदमीराम के घरू बंटवारा में आपसी सहमती से जो रकबा दिया जा रहा हैं वह दूसरे सहखातेदारो से कुछ कम उपजाऊ होने से शेष वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने कुल हिस्सा में से 3 बीघा भूमि अधिक दी जाकर कुल रकबा में से 3 बीघा यानि 0.7590 हैक्टेयर रकबा कम कर 8 हिस्सा में ब.हि.ब. करके वह 0.7590 हैक्टेयर रकबा प्रतिवादी न. 4 उदमीराम के हिस्सा में जोड़ कर अधिक दिया गया हैं व इसी प्रकार से खाता विभाजन में भी सभी सातो हिस्सेदार प्रतिवादी न. 4 उदमीराम को 3 बीघा अधिक का विभाजन प्रस्ताव मंगवाना चाहते हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण इसी अनुसार सहमत हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र में जवाब इकबालदावा प्रस्तुत होने पर तनकी कायम नहीं जाकर साक्ष्य वादी करवाये गये तथा इसके उपरान्त बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना खाता विभाजन करवाने के लिए सहमत हो चुके है जो मुताबिक कब्जा काश्त के करवाना चाहते हैं। मुताबिक कब्जा काश्त प्रतिवादी न. 4 उदमीराम के हिस्सा में कम उपजाऊ भूमि आने के कारण उसे बंटवारा में 0.759 हैक्टेयर भूमि ज्यादा दी गई है जिससे वादीगण भी सहमत है। इसलिए निवेदन है कि 0.759 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी न. 4 के पक्ष में ज्यादा देते हुए मुताबिक कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन का प्रस्ताव मंगवाया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा भी इसी अनुसार खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी रोही गुंसाईसर तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2068 ता 2071 के खाता न. 107 में खसरा नम्बर 126 में 2.0860 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 132 में 6.4760 हैक्टेयर बारानी प्रथम कुल 8.5620 हैक्टेयर बारानी प्रथम खातेदारी तथा इसी रोही गुंसाईसर के खाता न. 108 में खसरा नम्बर 125 में 8.1700 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 131 में 6.2150 हैक्टेयर बारानी प्रथम कुल 14.3850 हैक्टेयर बारानी प्रथम खातेदारी दोनो खातो में कुल 22.947 हैक्टेयर बारानी प्रथम खातेदारी भूमि वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 7 के नाम से ब.हि.ब. दर्ज हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण घरू बंटवारा में कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवाने पर सहमत हैं तथा सहमती से ही प्रतिवादी न. 4 उदमीराम को उसके हिस्सा में प्राप्त कब्जा काश्त भूमि कम उपजाऊ होने के कारण 0.759 हैक्टेयर भूमि ज्यादा देते हुए इसी अनुसार खाता विभाजन प्रस्ताव का निवेदन किया है। इसलिए सभी सहखातेदारान की सहमती होने से वाद पत्र वादीगण इसी अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाता हैं तथा जैरवाद भूमि तहसील सूरतगढ़ की रोही गुंसाईसर तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2068 ता 2071 के खाता न. 107 में खसरा नम्बर 126 में 2.0860 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 132 में 6.4760

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः— 95 / 2021)

हैक्टेयर बारानी प्रथम कुल 8.5620 हैक्टेयर बारानी प्रथम खातेदारी तथा इसी रोही गुंसाईसर के खाता न. 108 में खसरा नम्बर 125 में 8.1700 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 131 में 6.2150 हैक्टेयर बारानी प्रथम कुल 14.3850 हैक्टेयर बारानी प्रथम खातेदारी दोनो खातो में कुल 22.947 हैक्टेयर बारानी प्रथम खातेदारी भूमि में प्रतिवादी न. 4 उदमीराम के नाम दर्ज हिस्सा से 0.759 हैक्टेयर भूमि ज्यादा दर्ज कर तथा इतनी भूमि वादी बीरबल, प्रतिवादी न. 1 हेतराम, प्रतिवादी न. 2 शंकरदास, प्रतिवादी न. 3 परमदास, प्रतिवादी 5 पतराम, प्रतिवादी न. 6 गोपाल व प्रतिवादी न. 7 रामनारायण प्रत्येक के हिस्सा में से समानुपातिक रूप से कम करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ मुताबिक कब्जा काश्त व रास्ता आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा बनाकर अलग अलग रंग भर कर 20 दिवस में इस अदालत को भिजवायें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 26.02.2024 . को सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: **प्राथमिक डिक्री** ::–

यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–: **अनवान** :–

1. बीरबल पुत्र ईशरदास(मृतक)
   1/1 जगदीश, 1/2 भंवरलाल, 1/3 नौरंगलाल } पुत्रगण बीरबल जाति बैरागी निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
   1/4 विधा देवी पुत्री स्व0 बीरबल पत्नी धर्मपाल जाति बैरागी निवासी रामपुरा मटोरी चक 4/5 एन.डब्ल्यू डी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

.....वादीगण

बनाम

1. हेतराम पुत्र ईशरदास जाति स्वामी निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. शंकरदास (मृतक) जरिये वारिसानः–
   2/1 मूलीदेवी पत्नी शंकरलाल
   2/2 डुंगरदास (मृतक)
   2/2/1 रेणु, 2/2/2 अनिल स्वामी, 2/2/3 पूनम, 2/2/4 मोनिका } पुत्र व पुत्रीया डुंगरदास जाति स्वामी निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ।
   2/3 बिमला, 2/4 संतराम, 2/5 श्योपतराम } पुत्रगण व पुत्री शंकरदास जाति स्वामी निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ।
3. परमदास
4. उदमीराम
5. पतराम
6. गोपाल
7. रामनारायण } पुत्रगण ईशरदास जाति स्वामी निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ भूमि धारक पैरोकार राज.
9. शाखा प्रबन्धक केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा सूरतगढ़।

...प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188, 92ए, 207, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 95 वर्ष 2021 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री भागीरथ बिश्नोई, वकील प्रतिवादी प्रति. 1, 2/1, 2/2/1 ता 2/2/4, 2/3 ता 2/5, 3 ता 7 श्री अमित सैनी एवं राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाता हैं तथा जैरवाद भूमि तहसील सूरतगढ़ की रोही गुंसाईसर तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2068 ता 2071 के खाता न. 107 में खसरा नम्बर 126 में 2.0860 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 132 में 6.4760 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

बारानी प्रथम कुल 8.5620 हैक्टेयर बारानी प्रथम खातेदारी तथा इसी रोही गुंसाईसर के खाता न. 108 में खसरा नम्बर 125 में 8.1700 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 131 में 6.2150 हैक्टेयर बारानी प्रथम कुल 14.3850 हैक्टेयर बारानी प्रथम खातेदारी दोनो खातो में कुल 22.947 हैक्टेयर बारानी प्रथम खातेदारी भूमि में प्रतिवादी न. 4 उदमीराम के नाम दर्ज हिस्सा से 0.759 हैक्टेयर भूमि ज्यादा दर्ज कर तथा इतनी भूमि वादी बीरबल, प्रतिवादी न. 1 हेतराम, प्रतिवादी न. 2 शंकरदास, प्रतिवादी न. 3 परमदास, प्रतिवादी 5 पतराम, प्रतिवादी न. 6 गोपाल व प्रतिवादी न. 7 रामनारायण प्रत्येक के हिस्सा में से समानुपातिक रूप से कम करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ मुताबिक कब्जा काश्त व रास्ता आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा बनाकर अलग अलग रंग भर कर 20 दिवस में इस अदालत को भिजवायें।

नोज.......... × .... मुबलिग.........× .... बाबत..........×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... फस्दो की पालना ...... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26.02.2024 . को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)